ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्यामामाई मंदिर में नवाह आयोजन के शुभ अवसर पर श्यामामाई गेट के बाहर तथा अग्निशमन कार्यालय के सामने विश्वविद्यालय भूमि पर मेला आयोजन हेतु (विश्वविद्यालय चौरंगी को छोड़कर) आवंटन आम (खुला) डाक के माध्यम से दिनांक 16.11.2024 को अपराहन् 1:00 बजे अपराहन् अद्योहस्ताक्षरी (भू–सम्पदा कार्यालय) में क्रय–विक्रय उपसमिति के समक्ष बैठक आयोजित की जाएगी।

इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित शर्त्तो के आधार पर डाक में भाग ले सकते हैं।

1. श्यामामाई मंदिर में नवाह आयोजन के अवसर पर दिनांक 18.11.2024 से 27.11.24 तक कुल दस दिनों की अवधि तक विश्वविद्यालय की भूमि पर चौरंगी से पूरब महाराजा महेश ठाकुर उद्यान के अगल–बगल विश्वविद्यालय थाना तक मेला का आयोजन किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022 का नियामानुकूल 10% बढ़ोतरी करने के उपरांत **8,26,100/–(आठ लाख छबीस हजार एक सौ) रु0** होता है। वर्ष 2023 में 10% बढ़ोतरी करने के उपरांत कुल राशि **9,08,710/–(नौ लाख आठ हजार सात सौ दस) रु0** हुआ परन्तु NAAC निरीक्षक के मद्देनजर वर्ष 2023 में नवाहन् के समय मेला का आयोजन हेतु आवंटन नहीं किया गया। वर्ष 2024 में 2023 के आधार दर **9,08,710/–** पर 10% बढ़ोतरी करने के उपरांत कुल राशि **9,99,581/–(नौ लाख निन्यानबे हजार पॉच सौ एक्कासी) रु0** निर्धारित होता है।
2. इच्छुक व्यक्ति आम (खुला) डाक में भाग लेने के पूर्व ही सुरक्षा धन के रूप में **100,000 (एक लाख) रु0 बैंक डिमांड ड्राफ्ट** के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मोवाईल नम्बर के साथ आवेदन निविदा प्रकाशित होने की तिथि से लेकर 15.11.2024 तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. डाकवक्ता को उक्त अवधि कुल 10 (दस) दिनों का निर्धारित न्यूनतम किराया **9,99,581/–(नौ लाख निन्यानबे हजार पॉच सौ एक्कासी) रु0** से अधिक की बोली लगानी होगी। उच्चतम बोली लगाने वाले डाक वक्ता/सफल डाक वक्ता को **डाक का 100%(शतप्रतिशत)** राशि श्यामामाई नवाहन् से पूर्व विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा नहीं जमा करने की स्थिति में सुरक्षाधन के रूप में जमा राशि को जब्त करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त उच्चडाक वक्ता को मौका दिया जाएगा।
4. सफल डाक वक्ताओं के नाम से आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात अन्य सभी डाक वक्ताओं के द्वारा जमा सुरक्षा धन की राशि वापसी योग्य होगा।
5. मेला आयोजन के तुरंत बाद विश्वविद्यालय के भूमि पर लगाये गये सभी दुकानों को दिनांक 29.11.2024 तक खाली कराकर साफ–सफाई के साथ सुपुर्द करना अनिवार्य होगा।

11/11/24 11/11/24

6. मेला लगाने के पूर्व जिला प्रशासन, नगर निगम, अग्निशमन कार्यालय, विश्वविद्यालय एवं नगर थाना से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करने की सम्पूर्ण जवाबदेही स्वयं सफल डाक वक्ता की होगी।
7. मेला के आयोजन अवधि में विधि व्यवस्था की सम्पूर्ण जवाबदेही स्वयं सफल डाक वक्ता की होगी।
8. मेला आयोजन के क्रम में यदि विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति की क्षति होती है तो उसकी भरपाई स्वयं सफल डाक वक्ता/आयोजक को करनी होगी।
9. प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारणों से होने वाली क्षति की पूर्ति विश्वविद्यालय स्तर से अनुमान्य नहीं होगा।
10. मेला में धुम्रपान एवं मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्त पावंदी रहेगी।
11. मेला में यदि ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग किया जाता है तो उसका स्वर धीमा रखना होगा।
12. विश्वविद्यालय का चौरंगी गेट श्यामामाई नवाहन् के अवसर पर नहीं खोला जाएगा।

अद्योहस्ताक्षरी को किसी भी समय बिना कारण बताये सफल वक्ता के आवंटन को स्थगित/निरस्त/संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/–
भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक : Est. 4952-60/24 दिनांक : 11/11/2024

प्रतिलिपि प्रेषित

(1) **इच्छुक व्यक्तियों को......।**
(2) **सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाने हेतु।**
(3) **स्थानीय सभी सरकारी संस्थाओं को**
(4) **नगर निगम,** दरभंगा।
(5) **विकास पदाधिकारी,** ल0 ना0 मिथिला वि0वि0, दरभंगा को विश्वविद्यालय के बेबसाइट पर डलवाने हेतु।
(6) **दैनिक अखबार में प्रकाशित करने हेतु**
(7) **सुरक्षा सपरवाईजर,** समानता सिक्यूरिटी प्रा0 लि0।
(8) **कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,** ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

11/11/24
भू–सम्पदा पदाधिकारी

11/11/24